

आदेश की
क्रम-संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख
सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A. Case No.- 02/2022-23

गुलिया देवी बनाम दिलीप मोहली एवं अन्य

04/11/25

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Rev. Misc. Case No.- 06/2016-17 दिलीप मोहली बनाम जटल राय में दिनांक-19.05.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-06/2016-17 दिलीप मोहली बनाम जटल राय में दिनांक-19.05.2017 को पारित आदेश के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत विपक्षियों जटल राय दिगर को मौजा-शहरजोरी के खाता संख्या-18, दाग संख्या-05, रकबा-1.08 एकड़ जमीन से उच्छेद किया गया है। पुनः अंचल अधिकारी, नारायणपुर को आदेश दिया गया है कि यदि मौजा-शहरजोरी के दाग संख्या-83 पर भी विपक्षियों का अवैध दखल कब्जा पाया जाय तो उन्हें उक्त भूमि से भी उच्छेद कर भूमि पर आवेदकों (दिलीप मोहली दिगर) का दखल कब्जा दिलाना सुनिश्चित किया जाय।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन वापस हेतु Withdraw petition दाखिल किया गया है। अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन Withdraw करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त वाद में शीला देवी द्वारा उक्त वाद में Intervener के रूप में पक्षकार बनने अनुरोध किया गया। शीला देवी के पक्षकार बनने हेतु अनुरोध अस्वीकृत किया जाता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Rev. Misc. Case No.- 06/2016-17 दिलीप मोहली बनाम जटल राय में दिनांक-19.05.2017 को पारित आदेश यथावत रखते हुए अपीलकर्ता द्वारा दाखिल Withdraw petition के अनुसार अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

[Signature]
04/11/25
उपायुक्त,
जामताड़ा।

[Signature]
04/11/25
उपायुक्त,
जामताड़ा।

[Signature]
5/11/25

[Signature]
12/11/25